न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/770

1. सुभाष पुत्र श्री जगुराम,
2. रामनिवास पुत्र श्री बीरबल सिंह,
3. धुडाराम पुत्र श्री भागुराम,
   समस्त जातियान जाट, निवासी ढाणी सोकडाला, पटवार हल्का छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. राम कुमार पुत्र श्री रिछपाल,
3. ख्यालीराम पुत्र श्री रिछपाल,
4. मोहनलाल पुत्र भोला,
   निवासीयान सोकडाला, ढाका की ढाणी, छापोली, जिला झुन्झुनूं।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं ने निर्णय दिनांक 20.08.2018 प्रकरण संख्या 40/2018, उनवानी राजस्थान सरकार तहसीलदार बनाम पहाडी हथा पर्वत वगै0 ढाणी सोकडाला, तन छापोली, जिसमें गलत रूप से प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :—

1. श्री सत्येन्द्र सिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—25.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 20.08.2018 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 14.05.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 13.06.2018 को ग्राम छापोली (ढाणी सोकडाला) में भूमि के आराजी खसरा नम्बर 621, 4837/271 में चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 13.06.2018 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव व नक्सा ट्रेस के अनुसार लिखित रास्तों का नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकन करें तथा राजस्व नक्शें में तरमीम करें एवं नक्शे व जमाबन्दी में रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित किया जावे तथा रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 20.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुभाष पुत्र श्री जगुराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं दिनांक 20.08.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 20.08.2018 विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 11.06.2018 को खसरा नम्बर 621 व 4837/271 में से रास्ता मौके पर चालू होने बाबत रिपोर्ट तैयार की गई जो कि सरासर गलत है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने गलत तरीके से मनमर्जी रूप से खसरा नम्बर 621 व 4837/271 में केवल मात्र खसरा नम्बर 537 में जाने के लिए जो रास्ता चालू दिखाया है वह रास्ता गलत व अवैध तथा वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर उक्त रास्ता दर्शाया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण अन्य ग्रामवासियों की जमाबंदी एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 537, 540, 541, 542, 543, 570, 580, 586, 587, 589, 593, 607, 611 में जाने के लिए अन्य बारानी रास्ता है जो कि वर्तमान में भी बुजुर्गान के समय से ही चालू है जो कि नक्शा में पीले रंग से दिखाया गया है उक्त रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 621 व 4837/271 में से कोई रास्ता चालू नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट तहसीलदार उदयपुरवाटी ने गलत रूप से दिनांक 13.06.2018 को अपने लिखित आदेश मय रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया, जिसके खसरा नम्बर 621 व खसरा नम्बर 4837 में से रास्ता चालू है उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना नहीं बताया है जो कि गलत व अवैध है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बरान 621, 621/1, 621/2, 621/3 से होता हुआ खसरा नम्बर 542, 541, 537, 538 539 आदि सभी को रास्ता मिल रहा है जो कि हरे रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ते से अपीलार्थीण व अन्य ग्रामवासी अपने–अपने खेतों में जाते हैं उक्त रास्ते को ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जबकि रेस्पोंडेंट तहसीलदार उदयपुरवाटी ने इन तथ्यों को नजर अंदाज कर गलत रिपोर्ट विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की, जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किये बगैर ही विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोंडेंट तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त रास्ते की आड में अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त में बने हुए पुख्ता मकानों के बीचो–बीच से केवल मात्र खसरा नम्बर 537 में जाने के लिए नया रास्ता निकालने की रिपोर्ट की है जो कि अवैध व गैर–कानूनी है जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये ही आलौच्य आदेश पारित किया है जबकि उक्त रास्ते गलत रास्ते से अपीलार्थीगण को भारी क्षतिपूर्ति होगी, उनके पुख्ता पुराने मकानों की रिहायश उजड जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से दृव्य में किया जाना असंभव है, साथ ही अपीलार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों को भी अपने–अपने खेतों में जाने के लिए रास्ते से महरूम होना पडेगा। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायलाय का आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 537 व अन्य उपरोक्त खसरा नम्बरान के उपयोग कर्तागण पूर्व के बुर्जुगान के समय से चले आ रहे रास्ते को ही उपयोग–उपभोग कर रहे है तथा जो रास्ता रेस्पोडेंट की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है उसका उपयोग केवल मात्र खसरा नम्बर 537 का मालिक ही उपयोग–उपभोग में लेगा, जिन तथ्यों को नजर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अंदाज करते हुए रेस्पोंडेंट ने विद्वान अंधीनस्थ न्यायालय को गलत प्रकार से रिपोर्ट की है जो कतई अवैध व गैर–कानूनी है। रेस्पोडेंट तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2018 व पत्र दिनांक 13.06.2018 की गलत रिपोर्ट के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.08.2018 को खसरा नम्बर 621 व 4837/271 में नये रास्ते का आदेश पारित किया है जो अवैध व गैर–कानूनी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया कि कौनसा रास्ता बुजुर्गान के समय से आन–जान के उपयोग–उपभोग आ रहा है एवं कौनसे रास्ते से ज्यादा ग्रामवासी आन–जान करते हैं, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने गलत तरीके से उक्त रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का कृत्य किया है इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 20.08.2018 अपास्त किये जाने योग्य है।उक्त विवादित रास्ते का रिकॉर्ड में अंकन करते समय अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि अपीलार्थीगण व अन्य ग्रामवासी उक्त रास्ते के अलावा नक्शे से ही आन–जान करते हैं तथा अपीलार्थीगण बुजुर्गान के समय से पुख्ता मकानात बनाकर रिहायश करते आ रहे हैं तथा उक्त पुराने दर्शित रास्ते से ही आन–जान करते रहे हैं। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर सही प्रकार विचारण नहीं किया गया तथा ना तो सर्वमान्य सिद्धान्त एवं ना ही नसैर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन अपने निर्णय में किया गया। उपरोक्त बिना पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय केवल मात्र रेस्पोडेंट की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया है, जबकि रास्ते को रिकॉर्ड में अंकन करने से पूर्व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि आस–पास के क्षेत्र व आमजन के अधिकारों का ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना था परन्तु विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है जिस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण न्यायालय के समक्ष उक्त क्षेत्र में अपने स्वामित्व व कब्जे–काश्त की भूमि की जमाबंदी, रिहायश के दस्तावेजात व पुख्ता मकानात के बाबत व अन्य दस्तावेजात की प्रतियां इस अपील के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिन तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर ही पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार के दस्तावेजात का व पक्षकारान के पक्षों को सुने बगैर आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ना किसी प्रकार से मौके की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड पर लिया गया है इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालयने भारी कानूनी भूल करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है इसलिए अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 15.04.2019 को 4–5 व्यक्ति साथ में जेसीबी मशीन लेकर आये तथा उक्त नये रास्ते के बाबत नाप–जोक करने व जमीन को समतल करने का डिमार्केशन करने लगे तब अपीलार्थीगण व अन्य आस–पास के निवासियों ने उक्त व्यक्तियों से पूछा तो उन्होंने अपीलार्थीगण व अन्य लोगों को कहा कि इधर से रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है व रास्ते का डिमार्केशन करते हुए जमीन को समतल करना है जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त प्रकरण की जानकारी की, जिस पर शीघ्र ही नकल का ओवदन पेश कर प्रकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। इसलिए अपील अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 20.08.2018 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं दिनांक 20.08.2018 प्रार्थना पत्र संख्या 40/2018 उनवानी राजस्थान सरकार तहसीलदार बनाम पहाडी हथा पर्वत वगै0 ढाणी सोकडाला, तन छापोली को निरस्त फरमाया जावे एवं बुजुर्गान के समय से पूर्व में जो रास्ता है, जिसे अपीलार्थीगण व अन्य ग्रामवासी उपयोग–उपभोग में ले रहे हैं उसे यथावत रखा जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 13.06.2018 को ग्राम छापोली (ढाणी सोकडाला) में भूमि के आराजी खसरा नम्बर 621, 4837/271 में चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 13.06.2018 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव व नक्सा ट्रेस के अनुसार लिखित रास्तों का नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकन करें तथा राजस्व नक्शें में तरमीम करें एवं नक्शे व जमाबन्दी में रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित किया जावे तथा रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 पारित किये गये, जो सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.04.2019 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 13.06.2018 को ग्राम छापोली (ढाणी सोकडाला) में भूमि के आराजी खसरा नम्बर 621, 4837/271 में चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया गया कि भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों एवं प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव व नक्सा ट्रेस के अनुसार लिखित रास्तों का नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकन करें तथा राजस्व नक्शें में तरमीम करें एवं नक्शे व जमाबन्दी में रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित किया जावे तथा रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। खसरा नम्बर 621, 4837/271 (राजकीय भूमि) पहाड़ी तथा पर्वत (चारागाह हेतु) खातेदार के नाम दर्ज है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर